दिनांक 03.01.2013 को मंथन सभागार, वन मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में डॉ.आर.बी.एस. रावत, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में आयोजित की गई उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की अष्ठम बैठक का कार्यवृत्त तथा उपस्थिति का विवरणः–

उपस्थिति का विवरणः–

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष–कार्यकारी समिति।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
3. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
5. नोडल अधिकारी/अपर प्रमुख वन संरक्षक वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
6. वित्त नियंत्रक–वन विभाग/वित्तीय सलाहकार एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
7. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत, उत्तराखण्ड – विशेष आमंत्री।
8. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड – विशेष आमंत्री।
9. मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन, उत्तराखण्ड – विशेष आमंत्री।
10. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन – विशेष आमंत्री।
11. उप वन संरक्षक (IT & Moderanization), कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड – विशेष आमंत्री।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

बैठक का शुभारम्भ करते हुये उत्तराखण्ड कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) की अष्ठम बैठक का एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. 8.1: दिनांक 15.06.2012 को सम्पन्न हुई सप्तम कार्यकारी समिति की बैठक में उभरे बिन्दुओं पर अनुपालन आख्याः–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि दिनांक 15.06.2012 को सम्पन्न हुई सप्तम कार्यकारी की बैठक में उभरे बिन्दुओं पर किसी भी स्तर से अनुपालन आख्या प्राप्त नहीं हुई जिसको कार्यकारी समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा गम्भीरता से लिया गया एवं निर्देश दिए गये कि कार्यकारी समिति के निर्णयों/निर्देशों को पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय की भांति कार्यवृत्त को जोन में प्राप्ति के साथ जोन/वृत्त स्तर से अग्रेत्तर निर्देश अधीनस्थ को जारी किए जाएं तथा अनुपालन की स्थिति को सम्बन्धित वृत्त एवं जोन स्तर से कैम्पा कार्यालय को प्रेषित किया जाए जिससे निर्देशों का पूरे जोन स्तर पर हुए अनुपालन की स्थिति से समिति अवगत हो सके एवं नीतिगत निर्णय लिए जा सकें। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ एवं समस्त वन संरक्षक/निदेशक राष्ट्रीय पार्क)

षष्ठम बैठक में उभरे बिन्दुओं पर अनुपालन की स्थिति की समीक्षा में समिति द्वारा सप्तम बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की बिन्दुवार समीक्षा की गई तथा **समिति द्वारा पुनः निर्देश दिए गए** कि :–

1. उत्तराखण्ड कैम्पा के प्रभागीय स्तर पर नियोजित एवं क्रियान्वित समस्त कार्यों का प्राथमिक स्तरीय पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण वृत्त स्तर पर वन संरक्षक/निदेशक के द्वारा करने को सम्बन्धित जोन स्तर से कड़ाई से लागू किया जाय।

(कार्यवाही– प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल, कुमांऊ तथा समस्त वन संरक्षक/निदेशक राष्ट्रीय पार्क)

2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन कड़ाई से करते हुए विभाग के अंतर्गत सभी कार्यों को यथासम्भव निविदा के माध्यम से कराये जायें।

(कार्यवाही–समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/कार्यान्वयन अभिकरण)

3. आन्तरिक लेखा परीक्षा के Observations में रु॰ 2000/– से अधिक के भुगतान को चैक के माध्यम से किये जाने पर चर्चा हुई जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि रु॰ 2000/– से ऊपर के भुगतान चैक के माध्यम से किए जाएं, किन्तु यह सीमा अत्यधिक कम है। इस क्रम में Net Present Value के दृष्टिगत वर्तमान स्थिति को देखते हुए रु॰ 2000/– की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन के माध्यम से शासन को प्रेषित करने की कार्यवाही करवाएं। (1982 का अनुसार)

(कार्यवाही–अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन)

4. वन पंचायत नियमावली, 2005 के प्राविधानों में उल्लिखित संहत प्रबन्ध योजना (Composit Management Plan) को प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के कार्यालय स्तर पर Outsourcing के माध्यम से बनवाने के समिति की पूर्व बैठकों के निर्देशों के क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक–परियोजनाएं (कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत) के द्वारा अवगत कराया गया कि EOI के सापेक्ष प्राप्त तकनीकी निविदाएं खोली जा चुकी हैं एवं अग्रेत्तर कार्यवाही प्रगति पर है। उक्त पर समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। वित्तीय प्राविधान का आकलन कर अपर प्रमुख वन संरक्षक–परियोजनाएं (कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत) के स्तर से सूचित किया जाए तथा तद्नुसार उक्त का संशोधित वार्षिक कार्ययोजना 2012–13 अथवा प्रस्तावित कार्ययोजना 2013–14 में प्राविधान कर लिया जाय।

(कार्यवाही–अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत)

एजेण्डा बिन्दु सं॰ 8.2: उत्तराखण्ड कैम्पा हेतु नोटिफिकेशन संख्या–1922/x-2-2012-7(6)/2004 टी॰सी॰ दिनांक 08.11.2012:– सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (Ad.hoc CAMPA) के पत्रांक 1-20/2006-CAMPA, दिनांक 15.02.2012 के द्वारा निर्गत निर्देशो के क्रम में उत्तराखण्ड कैम्पा के सोसाईटी मोड में गठन एवं पंजीकरण किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–75/x-2-2010-7(6)/2004 दिनांक 31.08.2010 को निरस्त करते हुये सोसाईटी मोड में गठित उत्तराखण्ड कैम्पा का विघटन कर उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 1922/x-2-2012-7(6)/2004 टी॰सी॰ दिनांक 08.11.2012 के माध्यम से उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) का गठन किया गया है। उत्तराखण्ड कैम्पा के सोसाईटी मोड से निरस्तीकरण /विघटन से पूर्व उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा किये गये सभी कृत्य अथवा कार्यवाही कानूनी गठन के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत समझे जायेगें। सोसाईटी की सभी सम्पत्ति व देनदारियों के साथ मानव शक्ति सहित इस अधिसूचित प्राधिकरण अर्थात् उत्तराखण्ड कैम्पा में समाहित हो जायेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सोसाइटी के विघटन के दिनांक 08.11.2012 तक की उत्तराखण्ड कैम्पा की Balance Sheet बनाकर आयकर विभाग व सोसाइटी पंजीकरण कार्यालय में जमा की जाएगी तथा उक्त उत्तराखण्ड कैम्पा सोसाइटी की समस्त सम्पत्ति व देनदारियां एवं मानव शक्ति का विधिवत अधिसूचित उत्तराखण्ड कैम्पा में Transfer/समाहित किया जाएगा।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

एजेण्डा बिन्दु सं॰ 8.3: कैम्पा निधि के अन्तर्गत संशोधित (APO) 2011–12 एवं (APO) 2012–13 के क्रियान्वयन/प्रगति की अद्यावधिक स्थिति:– संशोधित वार्षिक कार्ययोजना (APO) 2011–12 एवं वार्षिक कार्ययोजना (APO) 2012–13 के क्रियान्वयन/प्रगति की उत्तराखण्ड कैम्पा के MIS से दिनांक 27.12.2012

को सृजित Hard Copy सदस्यगणों के संज्ञानार्थ तथा विचारार्थ प्रस्तुत की गई एवं अवगत कराया गया कि वर्ष 2011–12 की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत समस्त कार्यान्वयन अभिकरणों/वन प्रभागों को अवमुक्त धनराशि रू०7632.70 लाख के सापेक्ष वित्तीय उपलब्धि रू०6027.40 लाख है। वार्षिक कार्ययोजना 2011–12 के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि में से उक्त वित्तीय उपलब्धि उपरान्त अवशेष धनराशि रू०1605.30 लाख व कार्यान्वयन अभिकरण स्तर पर वित्तीय वर्ष 2011–12 में कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज को सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण/वन प्रभाग को वर्ष 2012–13 के APO के सापेक्ष व्यय करने हेतु Carry forward किया गया है। उक्त Carry forward की गई धनराशि सहित वर्तमान तक APO 2012–13 के सापेक्ष रू० 3685.48 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है जिसके सापेक्ष उपलब्धि मात्र 1% है।

वार्षिक कार्ययोजना 2012–13 के क्रियान्वयन की अत्यधिक धीमी प्रगति को संज्ञान में लिया गया तथा समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि समस्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक एवं वन संरक्षक/निदेशक के स्तर से APO के क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही की जाय। जोन स्तर से क्रियान्वयन की मासिक आधार पर समीक्षा की जाय तथा क्रियान्वयन की धीमी प्रगति पर सभी सम्बन्धित की जिम्मेदारी का निर्धारण उनके सक्षम स्तर से किया जाय।

(कार्यवाही–समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/कार्यान्वयन अभिकरण व समस्त वन संरक्षक/निदेशक तथा प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक–वन पंचायत, अपर प्रमुख वन संरक्षक–वन पंचायत, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल तथा कुमांऊ एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

एजेण्डा बिन्दु सं० 8.4: संशोधित APO 2012–13 एवं प्रस्तावितAPO 2013–14 के निरूपण के सम्बन्ध में:–
सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 17.05.2012 के माध्यम से वार्षिक कार्ययोजना को वित्तीय वर्ष के आधार पर तैयार करने एवं क्रियान्वयन करने के निर्देश प्राप्त हुये हैं तथा उत्तराखण्ड कैम्पा की अधिसूचना के बिन्दु संख्या–8 (2)(ख) पर **विभिन्न गतिविधियों के लिए पृथक–पृथक मदवार विवरण देते हुये प्रस्तावित गतिविधियॉ और अनुमानित लागत की स्वीकृति हेतु वार्षिक योजना तैयार कर इसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दिसम्बर के अन्त तक संचालन समिति की सहमति हेतु प्रस्तुत किये जाने** का उल्लेख है, जिसके क्रम में विलम्ब हो चुका है तथा वित्तीय वर्ष में कम समय बचा है।

उपरोक्त के आलोक में समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि APO 12–13 को वास्तविक (realistic) संशोधित किया जाय तथा जो कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण नहीं किए जा सकते हों उनको आगामी वर्ष के APO में प्रस्तावित किया जाय। APO 12–13 के संशोधन में यदि कोई committed plantation कार्य छूट गया हो, तो उसे शामिल किया जाय।

उपरोक्त के क्रम में सदस्यगणों द्वारा वर्ष 2013–14 के प्रस्तावित APO के निरूपण एवं वर्ष 2012–13 के APO के संशोधन की अन्तिम तिथि दिनांक 20.01.2013 निर्धारित करते हुए तद्नुसार जोन स्तर से उक्त APOs की प्रभागवार एवं कार्यमदवार अनुमोदित प्रति कैम्पा कार्यालय में प्रत्येक दशा में दिनांक 20.01.2013 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए ताकि तद्नुसार उक्त को माह जनवरी, 2013 के अन्तिम सप्ताह में कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा सके एवं तदोपरान्त फरवरी, 2013 के मध्य तक संचालन समिति से स्वीकृति के उपरान्त उक्त APOs को भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2013–14 के APO का साइज रू० 8.00 करोड़ निर्धारित करते हुए उक्त का प्रभागवार व कार्यमदवार विवरण उक्त निर्धारित तिथि तक प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के स्तर से अनुमोदित कराकर कैम्पा कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही–समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/कार्यान्वयन अभिकरण व समस्त वन संरक्षक/निदेशक तथा प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक–वन पंचायत, अपर प्रमुख वन संरक्षक–वन पंचायत, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल तथा कुमांऊ एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

एजेण्डा बिन्दु सं॰ 8.5:समस्त कार्यान्वयन अभिकरण व रेंज स्तर पर Interest Bearing A/c (बचत खाता) खोलने की अद्यावधिक स्थितिः— सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि भारत सरकार के राज्य कैम्पा हेतु दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या–10(3) तथा उत्तराखण्ड कैम्पा हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1922/x-2-2012-7(6)/2004टी॰सी॰ दिनांक 08.11.2012 के बिन्दु संख्या–11.(1) पर राज्य कैम्पा को **"प्राप्त धन को राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रचलित ब्याज वाले खातों में जमा कराये जाने"** का उल्लेख है। दिनांक 04.10.2012 को संचालन समिति की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त संख्या–4.2(2) तथा 4.9:5.(vii) पर संचालन समिति द्वारा निर्देश दिये गये है कि **"कैम्पा फण्ड के उपयोग हेतु रेंज/फील्ड स्तर पर रेंज अधिकारी का खाता खुलवाया जाये तथा कैश भुगतान बन्द कर नियमानुसार चैक के माध्यम से भुगतान कराये जायें"।**

उपरोक्त के क्रम में समिति के संज्ञान में लाया गया कि कैम्पा परियोजना के अन्तर्गत व्यय हेतु व्यवस्था निर्धारित करने के सम्बन्ध में दिनांक 24.04.2010 की बैठक (पत्र संख्या–ख–1752/13–2(2) दिनांक 26.04.2010) के कार्यवृत्त में बिन्दु संख्या–6 **प्रभाग स्तर पर संधारित किये जाने वाले अभिलेख के उप बिन्दु–ख पर प्रभाग स्तर पर अलग से Interest bearing खाता खोला जायेगा।** इसी क्रम में समिति के संज्ञान में यह भी लाया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा के Notification के बिन्दु 8.(2)(क) पर उल्लेख है कि **कार्यकारी समिति प्राधिकरण के व्यापक उदेदश्यों और हित में मूल सिद्धान्तों और नियमों को ध्यान मे रखते हुऐ संचालन समिति से अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अधीन कार्यो के लिए प्रक्रियाओं के अनुमोदन हेतु कदम उठायेगी।**

संचालन समिति द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समिति द्वारा चर्चा कर निर्देश दिए गये कि **कैम्पा फण्ड के उपयोग हेतु रेंज/फील्ड स्तर पर रेंज अधिकारी का खाता खुलवाने हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड के कार्यालय से एक सप्ताह के अंतर्गत कार्यालय आदेश निर्गत किया जाय तथा कैश भुगतान बन्द कर नियमानुसार चैक के माध्यम से भुगतान कराए जायें।**

(कार्यवाही–समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/कार्यान्वयन अभिकरण व समस्त वन संरक्षक/निदेशक तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन)

एजेण्डा बिन्दु सं॰ 8.6:उत्तराखण्ड कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2011–12 के कार्यो की आन्तरिक व वार्षिक लेखा परीक्षा की स्थिति :– समिति के संज्ञान में लाया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में किये गये कार्यो की आन्तरिक लेखा परीक्षा एवं वार्षिक लेखा परीक्षा का कार्य CAG Empanelled, CA Firm द्वारा कराया जा चुका है। आन्तरिक लेखा परीक्षा के Observations का सारांश सदस्यगणों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया तथा वार्षिक लेखा परीक्षा के Observations सहित वर्ष 2011–12 की उत्तराखण्ड कैम्पा की Balance sheet सदस्यगणों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई। Observations में उभरे बिन्दुओं के सम्बन्ध में वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सुझाव दिया गया कि विभागीय लेखा उप समिति के स्तर पर उक्त का परीक्षण करने के उपरान्त निराकरण/सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। **उक्त पर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति द्वारा विभागीय लेखा उप समिति की बैठक करवाकर अग्रेत्तर कार्यवाही के निर्देश दिए गये।** वित्त नियंत्रक, वन विभाग द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि कैम्पा कार्यालय स्तर पर ऑडिट कोऑर्डिनेटर ऑफीसर रखा जाना चाहिए।

(कार्यवाही–अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, मुख्य वन संरक्षक, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं ऑडिट तथा वित्त नियंत्रक–वन विभाग)

एजेण्डा बिन्दु सं॰ 8.7:उत्तराखण्ड कैम्पा की Concurrent Monitoring & Evaluation की अद्यावधिक स्थितिः— सदस्यगणों के संज्ञान में लाया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 के APO के सापेक्ष कराये गये कार्यो की सूचीबद्ध संस्थाओं के सलाहकारों तथा सूचीबद्ध व्यक्तिगत सलाहकारों के

माध्यम से की गई Concurrent Monitoring & Evaluation की रिपोर्ट में उभरे बिन्दुओं पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण को प्रेषित किया जा चुका है तथा उक्त Reports उत्तराखण्ड कैम्पा की Website:- www.ukcampa.org पर उपलब्ध है। वर्ष 2011–12 के APO के सापेक्ष M&E की प्राप्त अन्य रिपोर्टस को उत्तराखण्ड कैम्पा की website पर upload किया गया है तथा उक्त में उभरे बिन्दुओं पर सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरणों को अनुपालन करने हेतु प्रेषित किया गया है।

वर्ष 2011–12 के APO के वन पंचायत के सुदृढ़ीकरण के कार्यो की Concurrent Monitoring & Evaluation की श्री हेम चन्द गैरोला की रिपोर्ट कार्यकारी समिति की सप्तम बैठक दिनांक 15.06.2012 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं, अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजना की संयुक्त समिति को Circulate की गई। इस समिति के अध्ययन उपरान्त उक्त रिपोर्ट को अन्तिम रूप देकर उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त पर चर्चा उपरान्त निर्णय हुआ कि सदस्य सचिव के रूप में मुख्य वन संरक्षक, मूल्यांकन अनुश्रवण एवं ऑडिट को शामिल करते हुए संयुक्त समिति गठन का कार्यालय आदेश निर्गत कर तद्नुसार श्री हेम चन्द्र गैरोला को अपना प्रस्तुतीकरण देने हेतु सूचित किया जाय तथा उक्त समिति स्तर से रिपोर्ट को तद्नुसार 15 दिन के अंतर्गत अन्तिम रूप दिया जाय।

(कार्यवाही–संयुक्त समिति, श्री हेम चन्द्र गैरोला–मूल्यांकन एवं अनुश्रवण सलाहकार व मुख्य वन संरक्षक, मूल्यांकन अनुश्रवण एवं ऑडिट)

एजेण्डा बिन्दु सं॰ 8.8:कार्यकारी समिति स्तर से वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने हेतु अग्रेत्तर निर्णय लेने के सम्बन्ध में:– सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा हेतु अधिसूचना के बिन्दु संख्या–8.(2)(ज) पर उल्लेख है कि **प्राधिकरण की निधि से कार्यान्वयन अभिकरण स्तर पर किये जाने वाले विभिन्न कार्यो की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृत कार्यकारी समिति द्वारा दी जायेगी। कार्यकारी समिति द्वारा यह अधिकार अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रतिनिधानित किया जा सकता है।**

उपरोक्त के क्रम में सदस्यगणों के संज्ञान में लाया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की तृतीय बैठक दिनांक 08.10.2010 के कार्यवृत्त के **बिन्दु संख्या–3.2.3 पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्यकारी समिति के द्वारा दिये जाने के क्रम में चर्चा उपरान्त निर्णय हुआ कि वन विभाग में कार्यो की वित्तीय स्वीकृति हेतु जो स्तर है उनके स्तर से स्वीकृति जारी की जाती रहे तथा क्षेत्रीय इकाईयों के स्तर से बढ़ी स्वीकृतियॉ कार्यकारी समिति के स्तर पर निर्गत की जायें।** इसी क्रम में यह भी संज्ञान में लाया गया कि वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन हेतु उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं॰ 245/xxvii(7)/2012 दिनांक 22.11.2012 के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति हेतु वन विभाग के सभी सक्षम स्तरों के वित्तीय अधिकारों को संशोधित किया जा चुका है।

उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त दिनांक 22.11.2012 के शासनादेश तथा उत्तराखण्ड कैम्पा प्राधिकरण की अधिसूचना (Notification) सं॰ 1922 दिनांक 08.11.2012 के पैरा 8(2) (ज) के क्रम में कार्यकारी समिति की तृतीय बैठक दिनांक 08.10.2010 के कार्यवृत्त के **बिन्दु संख्या–3.2.3 पर लिए गए निर्णयानुसार क्रियान्वयन को गति प्रदान करने के लिए सक्षम स्तरों से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्देश दिए गए कि उक्त वित्तीय अधिकारों से बड़ी स्वीकृतियां कार्यकारी समिति के स्तर पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने तथा अधिसूचना के बिन्दु सं॰ 8. (2) (ज) के क्रम में वित्तीय स्वीकृति के अधिकार को** वन विभाग के सक्षम स्तरों **को कार्यकारी समिति द्वारा प्रतिनिधायन करने हेतु शासन स्तर को संदर्भित कर दिया जाए।**

प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव के द्वारा अवगत कराया गया कि कर्नाटक व आन्ध्रप्रदेश में कैम्पा के क्रियान्वयन की प्रगति अच्छी है। इस क्रम में समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि अन्य राज्यों में कैम्पा क्रियान्वयन में अपनायी जा रही प्रणाली की खूबियों व वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधायन का अध्ययन कर

आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाय, ताकि उनको उत्तराखण्ड कैम्पा में अपनाये जाने हेतु चर्चा कर निर्णय लिया जा सके।

(कार्यवाही–समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक व वन विभाग के वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित समस्त सक्षम स्तर तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

एजेण्डा बिन्दु सं॰ 8.9:मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली, 2012 हेतु कैम्पा निधि से रू॰4.00 करोड़ देने के सम्बन्ध में:– सदस्यगणों के संज्ञान में लाया गया कि वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं॰2227/x-2-2012-19(37)/2003 दिनांक 10.12.2012 के माध्यम से **वन क्षेत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्र में वन्य जीवों द्वारा जानमाल की क्षति की दशा में मुआवजा के रूप में देय अनुग्रह राशि (आर्थिक सहायकता) की दरों को पुनःरीक्षण एवं मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2012 का प्रख्यापन किया गया है।** इसी क्रम में वन एवं पर्यावरण अनुभाग की अधिसूचना संख्या–सं॰2228/x-2-2012-19(37)/2003 दिनांक 10.12.2012 के नियम–5(2) की पूर्ति के लिये रू॰ 4.00 करोड़ उत्तराखण्ड कैम्पा के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में अपर प्रमख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश उपरोक्त शासनादेश के माध्यम से प्राप्त हुये हैं। इस क्रम में रु॰ 4.00 करोड़ की धनराशि अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराए जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के द्वारा दिनांक 01.01.2013 को पत्रावली में स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपरोक्त के अनुपालन में वार्षिक कार्ययोजना 2012–13 में NPV घटक में 1.b.3 मानव वन्यजीव संघर्ष के अन्तर्गत कार्यमद 1.b.3.8a Immediate payment of ex-gratia in sensitive divisions by DFOs (Human Death Cases) में प्राविधानित धनराशि रू॰86.50 लाख तथा कार्यमद 1.b.3.8b Immediate Payment of ex-gratia in sensitive divisions by DFOs (Human Injury cases) में प्राविधानित धनराशि रू॰13.50 लाख अर्थात् कुल धनराशि **रू॰100.00 लाख** को हटाते हुये कैम्पा MIS में नई सृजित कार्यमद 1.b.3.8c Human-Wildlife Conflict Relief Fund में **रू॰4.00 करोड़** की धनराशि अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराने हेतु समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया एवं समिति द्वारा उक्त को आगामी संचालन समिति की बैठक में औपचारिक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही–अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

एजेण्डा बिन्दु सं॰ 8.10:वनाग्नि दुर्घटना रोकने हेतु अनुदान संख्या–27 की वित्तीय स्वीकृति से प्रतिपूर्ति के सापेक्ष आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में प्रभागों को कैम्पा निधि से धनराशि देने के सम्बन्ध में:– सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि वन एवं पर्यावरण अनुभाव–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश संख्या 1218/x–2–2012–12(27) 2012 दिनांक 27.06.2012 के माध्यम से वनाग्नि की रोकथाम हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं कि:–

1. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ही अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत वन विभाग के आयोजनागत पक्ष की राज्य सेक्ट्रर की योजना वनों की अग्नि से सुरक्षा में प्राविधानित बजट के समतुल्य धनराशि का आहरण कैम्पा निधि से की जाय। तथा उक्त की धनराशि का उपयोग वनो की अग्नि से सुरक्षा हेतु यथा आवश्यकतानुसार किया जाय।
2. अनुदान संख्या–27 के अन्तगर्त वन विभाग के आयोजनागत पक्ष की राज्य सेक्ट्रर की योजना वनों की अग्नि से सुरक्षा में प्राविधानित बजट के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत हो जाने के उपरान्त कैम्पा निधि से आहरित की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति उक्तवत निर्गत वित्तीय स्वीकृति से की जाय। उपरोक्त के क्रम में वन विभाग स्तर पर अनुदान संख्या–27 के अन्तगर्त वनो की अग्नि से सुरक्षा के लिए वर्ष 2013–14 हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने पर उक्त से प्रतिपूर्ति किये जाने की प्रत्याशा में समतुल्य धनराशि कैम्पा निधि से अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड को उनसे प्राप्त प्राविधान के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अवमुक्त किये जाने हेतु समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक,

नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन को वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान सं॰ 27 के अंतर्गत वनों की अग्नि से सुरक्षा के लिए प्रस्तावित प्राविधानित धनराशि की सूचना समयान्तर्गत उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये, ताकि कैम्पा कार्यालय स्तर से तदनुसार धनराशि उनको अवमुक्त की जा सके।

(कार्यवाही–अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

एजेण्डा बिन्दु सं॰ 8.11:संचालन समिति के निर्देशों के क्रम में आगामी वर्षो में अर्जित ब्याज के मद्देनजर उत्तराखण्ड कैम्पा निधि से प्रस्तावित 135 वाहनों के क्रय की संख्या के संशोधन के सम्बन्ध में:– सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि भारत सरकार की राज्य कैम्पा के सम्बन्ध में दिनांक 02.07.2009 की गाइडलाइन के Overarching Objectives and Core Principlae (मा॰ सर्वोच्च न्यायालय से अनुमोदित) के अनुपालन में निरीक्षण व सुरक्षा ड्यूटी करने हेतु संवेदनशील 179 वन रेंजों में से 44 वन रेंजों को APO 2011–12 के सापेक्ष 44 वाहन क्रय के प्राविधान के उपरान्त कैम्पा निधि से अर्जित ब्याज के सापेक्ष अगले वर्षों में प्राप्त होने वाली आय को ध्यान में रखते हुए शेष 135 वन रेंजों के लिए वाहनों के क्रय हेतु APO 2012–13 में प्रस्तावित प्राविधान रु॰ 810.00 लाख को संशोधित किए जाने के संचालन समिति द्वारा दिनांक 04.10.2012 को कार्यवृत्त के बिन्दु सं॰ 4. 9:1.(क)1 पर निर्देश दिए गए हैं।

उपरोक्त के क्रम में सदस्यगणों के संज्ञान में लाया गया कि आगामी समय में कैम्पा निधि पर लगभग 4.00 करोड़ प्रतिवर्ष ब्याज अर्जित होना तथा अर्जित ब्याज राशि से प्रतिवर्ष निम्नानुसार दीर्घकालीन Committed व्यय अनुमानित है :–

CUG Plan	उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय का प्रबन्धन	कैम्पा निधि से क्रय होने वाले कुल 100 वाहनों का POL, Driver आदि पर व्यय	योग
रु॰ 75.00 लाख	रु॰ 142.00 लाख	रु॰ 200.00 लाख	रु॰ 417.00 लाख

समिति ने उपरोक्त के आलोक में तथा संचालन समिति के निर्देशों के क्रम में APO 2012–13 के सापेक्ष वन रेंजों हेतु 60 वाहन (30 जीप तथा 30 कैम्पर वाहन) क्रय करने हेतु निर्णय लिया।

(कार्यवाही–अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

इसी क्रम में CUG Plan के सम्बन्ध में पूर्व कार्यकारी समिति के कार्यवृत्त के बिन्दु सं॰ 7.12: 3 व 4 पर हुए निर्णयों के अनुपालन सम्बन्धी अपेक्षित आदेश प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के अनुमोदन उपरान्त मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं आई॰टी॰ के स्तर से जारी किया जाय। चूंकि CUG नम्बर पदनाम से जारी किए गए हैं, अतः वन संरक्षक व उच्चाधिकारियों को पूर्व उपलब्ध/आवंटित नम्बर को निजी नम्बर में Convert कराकर CUG Network में जोड़ने अथवा पूर्व नम्बर को ही CUG नम्बर में Convert करने आदि options पर BSNL के माध्यम से अग्रेत्तर कार्यवाही मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं आई॰टी॰ द्वारा प्राथमिकता पर करा ली जाय।

(कार्यवाही–मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं आई॰टी॰)

एजेण्डा बिन्दु सं॰ 8.12: उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2011–12 की वार्षिक रिपोर्ट :–

उत्तराखण्ड कैम्पा हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं॰ 1922/x-2-2012-7(6)/2004 टी.सी॰ दिनांक 08.11.2012 में कार्यकारी समिति के कार्यों के बारे में बिन्दु सं॰ 8.(2) (छ) पर उल्लेख है कि **"जून के अन्त तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी"**। इस क्रम में सदस्यगणों के संज्ञान में लाया गया कि संचालन समिति की चतुर्थ बैठक (दिनांक 04.10.2012) के कार्यवृत्त के बिन्दु सं॰ 4.10 पर उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2011–12 की ड्राफ्ट वार्षिक रिपोर्ट का संचालन समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान

किया गया। संचालन समिति से अनुमोदित उक्त वर्ष 2011–12 की वार्षिक रिपोर्ट सदस्यगणों के संज्ञानार्थ प्रस्तुत की गई, जिससे समिति अवगत हुई।

एजेण्डा बिन्दु सं॰ 8.13: उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यान्वयन अभिकरण/प्रभाग में रेंज स्तर तक के लेखा की Voucher Level तक की Tally Software (डबल एन्ट्री सिस्टम) में प्रविष्टि की अद्यावधिक स्थिति :–

समिति के संज्ञान में लाया गया कि कार्यकारी समिति की सप्तम बैठक दिनांक 15.06.2012 के कार्यवृत्त के बिन्दु सं॰ 7.10 के अन्तिम पैरा पर समिति द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को निर्देश दिए गए कि **"प्रथम चरण में Outsourcing के माध्यम से वर्ष 2010–11 व 2011–12 के APO के कार्यों के Data feeding सभी कार्यान्वयन अभिकरणों के स्तर पर करवा दी जाए"**। समिति के निर्देशों के क्रम में उक्त APOs के कार्यों की 4th level की कार्यमदों तक के लेखा की प्रविष्टि Accounting Software Tally ERP09 (Double Entry Accounting System) में Outsourcing के माध्यम से कराने का कार्य प्रथम चक्र में दिनांक 23.07.2012 से 06.08.2012 के मध्य करवाया गया जिसमें 16 प्रभागों/कार्यान्वयन अभिकरणों में से मसूरी, चकराता, टिहरी, टिहरी डैम–प्रथम, हरिद्वार, सिविल सोयम पौड़ी, अल्मोड़ा, सिविल सोयम अल्मोड़ा, बागेश्वर, तराई पश्चिमी, नैनीताल, भू0सं0 नैनीताल, भू0सं0 रानीखेत, भू0सं0 रामनगर वन प्रभागों के लेखा में लेखा Heads अंकित न किए जाने के कारण तथा उत्तरकाशी व भू0सं0 उत्तरकाशी प्रभाग में लेखाकार उपलब्ध न होने के कारण उक्त कार्य नहीं किया जा सका जिसके क्रम में दिनांक 11.08.2012 से 16.08.2012 के मध्य द्वितीय चक्र में उक्त कार्य मसूरी, हरिद्वार, तराई पश्चिमी, नैनीताल, भू0सं0 नैनीताल, भू0सं0 रानीखेत, भू0सं0 रामनगर के अतिरिक्त शेष में उपरोक्त कारण से पूर्ण नहीं किया जा सका। इसी क्रम में पुनः तीसरे चक्र में दिनांक 29.08.2012 से 04.09.2012 के मध्य चकराता, टिहरी डैम–प्रथम, भू0सं0 उत्तरकाशी, सिविल सोयम पौड़ी, अल्मोड़ा, सिविल सोयम अल्मोड़ा, चम्पावत एवं प्रमुख वन संरक्षक–वन पंचायत के कार्यालय में उक्त कार्य उपरोक्त कारणों से पूर्ण नहीं किया जा सका।

सदस्यगणों के संज्ञान में लाया गया कि संचालन समिति की बैठक दिनांक 04.10.2012 के कार्यवृत्त के बिन्दु सं॰ 4.3:4 पर संचालन समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि **"TALLY (Double Entry Accounting System) एवं CAMPA MIS (Management Information System) को Range Level तक functional बनाया जाय। विगत 2 वर्षों (APO 2010-11 एवं APO 2011-12) की Tally में Voucher level entry उच्च प्राथमिकता पर समस्त कार्यान्वयन अभिकरणों में पूर्ण कराई जाय। वर्ष 2012–13 के APO के सम्बन्ध में भी तद्नुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाय"**।

संचालन समिति के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में प्रभाग स्तर पर रेंज स्तरीय लेखा की Voucher level तक की प्रविष्टि Tally Software में Outsourcing के माध्यम से कराये जाने का कार्य दिनांक 03.12.2012 से प्रगति पर है तथा पूर्व में उपरोक्त 8 कार्यान्वयन अभिकरणों/वन प्रभागों में छूटे कार्य में से सिविल सोयम पौड़ी, अल्मोड़ा, सिविल सोयम अल्मोड़ा तथा चम्पावत में उक्त कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

उपरोक्त कार्य को सम्पन्न कराने में कार्यान्वयन अभिकरणों/वन प्रभागों के स्तर से रुचि नहीं लिए जाने तथा उनके स्तर से बार–बार किए जा रहे विलम्ब को समिति द्वारा गम्भीरता से लिया गया तथा कैम्पा कार्यालय को ऐसे वन प्रभागों की सूची प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये, ताकि तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही–समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक व समस्त वन संरक्षक/निदेशक तथा प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल तथा कुमांऊ एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

एजेण्डा बिन्दु सं॰ 8.14:प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड के द्वारा कैम्पा निधि का Performance Audit:-

सदस्यगणों के संज्ञान में लाया गया विगत 5 वर्षों का कैम्पा निधि का Performance Audit मुख्य वन संरक्षक, मूल्यांकन अनुश्रवण एवं ऑडिट के समन्वयन में प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड के द्वारा दो चरणों में किया गया है। प्रथम चरण में दिनांक 24.09.2012 से दिनांक 02.11.2012 के मध्य मुख्य वन संरक्षक–कार्ययोजना, सिल्वा हिल, प्रमुख वन संरक्षक–वन पंचायत, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, अल्मोड़ा वन प्रभाग, बागेश्वर वन प्रभाग, चम्पावत वन प्रभाग, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, भू0सं0 रानीखेत, गढ़वाल

वन प्रभाग, सिविल सोयम पौड़ी, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, अलकनन्दा भू०सं०, भू०सं० लैन्सडौन वन प्रभागों/क्रियान्वयन अभिकरणों तथा द्वितीय चरण में दिनांक 06.11.2012 से दिनांक 20.11.2012 के मध्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी–कैम्पा, स्पर्श गंगा बोर्ड, मसूरी वन प्रभाग, उत्तरकाशी वन प्रभाग, चकराता वन प्रभाग, लैन्सडौन वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, देहरादून वन प्रभाग, हरिद्वार वन प्रभाग, कालसी भू०सं०, राजाजी पार्क, प्रमुख वन संरक्षक–परियोजनाएं, प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन प्रभागों/क्रियान्वयन अभिकरणों का लेखा परीक्षा टीम द्वारा फील्ड विजिट/ऑडिट किया गया। लेखा परीक्षा टीम द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को दिए गए ऑडिट मैमो सं॰ 1 से 14 तथा उक्त मैमो के कैम्पा कार्यालय से प्रेषित प्रत्युत्तर पर सदस्यगणों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किए गये।

समिति द्वारा मुख्य इंगित बिन्दु यथा–वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत निर्धारित समस्त Site Specific **कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तथा** NPV **के अंतर्गत भी स्वीकृत समस्त** Site specific **कार्य नियमानुसार पूर्ण करने हेतु समस्त सम्बन्धित के द्वारा समयबद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गये।**

(कार्यवाही–समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक व समस्त वन संरक्षक/निदेशक तथा प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल तथा कुमांऊ एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

एजेण्डा बिन्दु सं॰ 8.15 : समस्त Site Specific कार्यों की Lat./Long. की reading भारत सरकार को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में :–

सदस्यगणों के संज्ञान में लाया गया कि वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं॰ D.O. No. -13.5/2010-FC दिनांक 11.09.2012 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि कैम्पा निधि के अंतर्गत वर्ष 2009 से एडहॉक कैम्पा से राज्य कैम्पा को अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वार्षिक कार्ययोजना (APO) के अंतर्गत किए गए कार्यों के कार्यस्थलों की Latitude/Longitute रीडिंग की सूचना भारत सरकार को उपलब्ध कराने पर ही राज्य कैम्पा हेतु धनराशि अवमुक्त की जायेगी तथा सूचना को उपलब्ध कराने में विलम्ब की स्थिति को गम्भीरता से लिया जायेगा तथा सूचना प्राप्त न होने पर धनराशि अवमुक्त करने में विलम्ब के कारण वृक्षारोपणों में क्षति आदि की जिम्मेदारी सम्बन्धित क्रियान्वयन अधिकारी अर्थात् प्रभागीय वनाधिकारी व रेंज अधिकारी की होगी।

समिति को यह भी अवगत कराया गया कि उपरोक्त के क्रम में संचालन समिति की चतुर्थ बैठक (04.10.2012) के कार्यवृत्त के बिन्दु सं॰ 4.9:5 (vi) पर समिति द्वारा निर्देश दिए गये हैं कि **"समस्त** Site Specific **कार्य की** Lat/Long. **की** reading CAMPA MIS **में प्रविष्टि की जाय (2010–11, 2011–12 एवं 2012–13) तथा सम्पादित कार्यों के** Photographs **भी** MIS **में** upload **किए जायें अन्यथा भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में कैम्पा निधि की आगामी किश्त सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरण को जारी नहीं की जाएगी"।**

इसी क्रम में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा पत्रांक–637 P.O./13-2(2)/2012-13 दिनांक 18.12.2012 के माध्यम से प्रभाग स्तर से दिनांक 22.12.2012 तक उक्त Lat./Long reading की सूचना CAMPA MIS में प्रविष्टि करने के निर्देश दिए गए।

उपरोक्त के क्रम में सदस्यगणों के संज्ञान में लाया गया कि वर्ष 2010–11 के APO के Site Specific कार्यों की Lat/Long. reading मात्र 03 कार्यान्वयन अभिकरणों (टिहरी डैम–द्वितीय, सिल्वा साल व अस्कोट वन्य जीव विहार) के द्वारा व वर्ष 2011–12 के APO के कार्यों की मात्र 05 कार्यान्वयन अभिकरणों (टिहरी डैम–द्वितीय, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, सिल्वा साल, सिल्वा हिल व अस्कोट वन्य जीव विहार) के द्वारा तथा वर्ष 2012–13 के APO के कार्यों की मात्र 07 कार्यान्वयन अभिकरणों (हल्द्वानी वन प्रभाग, टिहरी डैम–द्वितीय, कालागढ़ टाइगर रिजर्व, टौंस वन प्रभाग, तराई पश्चिमी, हरिद्वार वन प्रभाग व सिविल सोयम पौड़ी) के द्वारा CAMPA के MIS में प्रविष्टि की गई है जो कि भारत सरकार को कैम्पा कार्यालय से प्रेषित की जा रही है।

भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में प्रभाग स्तर से Site Specific कार्यों की वांछित Lat/Long रीडिंग की CAMPA MIS में प्रविष्टि की उपरोक्त स्थिति को समिति द्वारा गम्भीरता से लिया गया एवं निर्देश दिए गये कि जिन प्रभागों/कार्यान्वयन अभिकरणों के स्तर से उक्त कार्य 30.01.2013 तक पूर्ण नहीं किया जाता है तो उन प्रभागों/कार्यान्वयन अभिकरणों की सूची प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराई जाए, ताकि सम्बन्धित की जिम्मेदारी निर्धारित की जा सके।

(कार्यवाही–समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/कार्यान्वयन अभिकरण एवं वन संरक्षक/निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

एजेण्डा बिन्दु सं० 8.16 अन्य बिन्दु :–

प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव द्वारा सुझाव दिया गया कि वन भूमि की सुरक्षा की दृष्टि से राजाजी राष्ट्रीय पार्क में Boundary Pillars को बनाया जाना आवश्यक है। इसको Revised APO 12-13 अथवा प्रस्तावित APO 2013-14 में किए जाने का सुझाव दिया गया जिस पर समिति द्वारा सहर्ष सहमति प्रदान की गई तथा अपेक्षा की गई कि सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव तथा निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेते हुए धन्यवाद सहित बैठक की समाप्ति की घोषणा की गई।

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा

(डॉ० आर०बी०एस० रावत)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–
कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

200, वसन्त विहार, फेज–II, देहरादून, दूरभाष/ फैक्स: 0135–2761077 ई–मेल:ceoukcampa@gmail.com, website: www.ukcampa.org

पत्रांक– 223 /13–3(8)/2012–13 दिनांक, देहरादून, 07 जनवरी, 2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक– 223 (1)/13–3(8)/2012–13, उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक– 223 (2)/13–3(8)/2012–13, उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं उपाध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा